भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 970

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में कार्मिकों की कमी

†970. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा किए गए संपरीक्षा के निष्कर्षों की जानकारी है, जिसमें महाराष्ट्र के लोक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में कार्मिकों की भारी कमी का उल्लेख है;

(ख) यदि हाँ, तो प्राथमिक, माध्यमिक और महिला अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का प्रतिशत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी 42 प्रतिशत तक पहुँच गई है और ट्रॉमा केयर सेंटर तथा आयुष संस्थान स्टाफ की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लोक स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की स्वीकृत संख्या भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस), 2012 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों से 17 प्रतिशत कम है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार हेतु क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, पर्याप्त कर्मियों की भर्ती करने और आईपीएचएस मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:732 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार, अपेक्षित अनुपात 1:1000 है। राज्य में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों से 37 प्रतिशत अधिक है।

भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (एचडीआई) (अवंसरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। महाराष्ट्र सहित देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य संबंधी कार्यबल में कमी का विवरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव हेतु अनुमोदन प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहन और मानदेय देने जैसी कई पहल की गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता, ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
ii. राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत कर वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों वाला लचीलापन भी शामिल है।
iii. एनएचएम के अंतर्गत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे कि दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार भी शुरू किया गया है।
iv. एनएचएम के अंतर्गत व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या (सीईएमओएनसी) और जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) जैसे विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल को समर्थन प्रदान किया जाता है।

******